राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर

क्रमांक :एफ–5/भण्डार/निविदा/2022–23/153 **दिनांक: 11/3/22**

आनॅलाईन बोली आमंत्रण सूचना 03/2021–22

वित्तीय वर्ष 2022–23 मे महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में कार्य आधार पर 12 (मशीन–कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. विद मैन) दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता/संवेदकों से बोली (तकनीकी–वाणिज्यिक/क्वालिफाईग बिड एवं वित्तीय/प्राईस बिड) निम्नलिखित विवरणानुसार आंमत्रित की जाती है। विस्तृत बोली दस्तावेज को वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

S.NO	Schedule	Date	Time
1	Document Download Start Date	11.03.2022	04.00 P.M.
2	Bid Submission End Date	22.03.2022	5.00 P.M.
3	Bid Opening Date	23.03.2022	12.00 Noon

(भगवत सिंह राठौड़)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रवर्तन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

क्रमांक :एफ–5/भण्डार/निविदा /2022–23/ 154-160 **दिनांक: 11/3/22**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड, अजमेर।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर, अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) अजमेर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को 06 प्रतियां तथा एक CD के साथ प्रेषित कर लेख है कि एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में मुद्रण कर सूचित करावें।
5. श्री प्रदीप (सूचना सहायक) बजट शाखा, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति मय शर्तो के राजस्थान उपापन में परदर्शिता के पोर्टल एवं विभाग की वेबसाईट पर डालकर सूचित करें।
6. बिल शाखा, मुख्यालय 06 प्रति।
7. बजट शाखा, मुख्यालय।

(भगवत सिंह राठौड़)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रवर्तन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर

क्रमांक :एफ–5/भण्डार/निविदा/2022–23/ दिनांकः

BID INVITATION NOTICE
FOR E-TEDER NO 3/2021-22

The office of the I.G. registration & Stamp, Ajmer invites Online Bid for services of Computer Machine with Man, Computer, Printer & UPS on job basis initially up to 31 March 2023 from reputed firms/Registered Bidder/Contractors registered under the Acts specificed in the bidding document.

The Tender/Bid shall only be submitted through online tendering system of **www.eproc.rajasthan.gov.in** The interested bidders shall have to be enrolled/registered with portal of **www.eproc. rajasthan. gov. in** for participating in the Bidding process.

Schedule and Details of NIT 3/2021-22 For procurement of services of Computer operators with computer & Printer ON JOB BASIS as mentioned below.

Sr No	Name of sevices required	Qty.	Annual estd. Cost(In Lacs)	Bid document fees in Rs.	RISL Processing Fee in Rs.	Bid security (In Rs.)
01	Computer along with Highly skilled manpower, printer , UPS on job basis	12	12.00	500.00	500.00	24000.00

S.NO	Schedule	Date	Time
1	Document Download Start Date	11.03.2022	04.00 P.M.
2	Bid Submission start Date	11.03.2022	04.00 P.M.
3	BID Document Download End Date	22.03.2022	05.00 P.M.
4	Bid Sumission End Date	22.03.2022	05.00 P.M.
5	Bid Opening Date	23.03.2022	12.00 Noon
6	Submission of Demand Draft/Banker Cheque of Processing Fees, Tender Fee and Earnest Money At the office of I.G. registration & Stamp, Ajmer	23.03.2022	11.00 A.M.

Terms & Conditions:-

1. Bidders are requested to read the instruction in the Technical document/Bid before submitting the Tender/Bid online.
2. Bid shall be submitted online only thorugh website **www.eproc.rajasthan.gov.in**
3. No physical/offline tender/bid shall be accepted.
4. The cost of Bid Documents is Rs. 500.00 which is non refundable.
5. RISL Processing Fees Rs 500.00 shall be in the form of Demand Draft/Banker Cheque of Scheduled Bank drawn in favour of "MD, RISL" PAYABLE AT Jaipur, and shall be submitted in the office of the " I.G. registration & Stamp, Ajmer" up to schedule date and time.
6. The Bid Security and the bid Documents Fees shall be in the form of Demand Draft/Banker Cheque Scheduled Bank drawn in favour of "I.G. registration & Stamp, Ajmer" payable at Ajmer and shall be submitted in the office of "I.G. Registration & Stamp, Ajmer" up to schedule date and time. Bids submitted without required Processing fees, bid Documents Fees and Bid Security will not be considered.
7. In case, the schedule dates happen to be Govt, Holiday the next working day shall be treated as the scheduled date as given above for bid as the case may be.
8. Rate should be quated Only in INR in BOQ for online E-tenders in prescribed format.
9. Taxes where ever Applicable/paybable, under this E-tenders or submission of this E-tenders shall be paid by the bidder.
10. Technical and Financial Bid should be submitted separately online. Financial Bids of the bidders who qulificaiton in techhinical evaluation will be opened.
11. Conditional bids are liable to be rejected.
12. The undersigned has right to accept or reject any bid , party or fully without assigning any reasons.
13. Pre Installation requirement, If any, should specifically be mentioned in the bid.
14. In case of any dispute, legal Jurisdiction will be Ajmer Rajasthan.

(भगवत सिंह राठौड़)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रवर्तन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर

कार्य का नामः– कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन) उपलब्ध कराने हेतु ।

तकनीकी–वाणिज्यक खुली बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक /कम्पनी का नाम..
2. डाक का पता..
3. फोन/मोबाईल न0..
4. ई–मेल...
5. बैक का नाम...

   IFSC CODE ....

   खाता संख्या..
6. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि...
7. निविदा खोले जाने की तिथि...
8. निविदा शुल्क जमा कराने का विवरण...
9. अमानत राशि जमा कराने का विवरण...
10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगीः–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

11. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत तीन वर्षो (2018–2019, 2019–2020 व 2020–2021) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपकम/स्वायत संस्थाएं/परियोजनाऐं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैको मे न्यूनतम 06 कम्प्यूटर , प्रिंटर मय प्रशिक्षित कार्मिक एक ही समयावधि में कम से कम दो वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिनका निम्नलिखित विवरण अनुसार

निर्धारित कॉलम मे अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षररित प्रति संलग्न कर बोली दस्तावेज के साथ लगानी होगी।

क्र.स.	विभाग / संस्था का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का आदेश विवरण व संख्या	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की समयावधि (माह / वर्ष से माह / वर्ष)	संबंधित विभाग / संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन एवं प्रति
1				
2				
3				
4				

नोटः– उपरोक्त तालिका के प्रत्येक कॉलम का विवरण वांछित / निर्धारित होने के सत्यापन स्वरूप पूर्ण भरे जाने के साथ पुष्टि हेतु स्वहस्ताक्षरित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा निरस्त होने पर जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।

12. बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स बैंक, अति महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के नाम भौतिक रूप से दिनांक 23.03.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है। RISL Fee "MD. RISL" payable at Jaipur के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स बैंक के रूप में देय होगी। निर्धारित समय पर विभाग को उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स बैंक प्रस्तुत नहीं करने पर प्रस्तुत बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड / सफल बोलीदाता / संवेदक की ही वित्तीय बोली / प्राईस बिड खोली जायेगी।
14. मै / हम महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक एफ–5 / भण्डार / निविदा– दिनांक.................. मे वर्णित सभी शर्तों से तथा संलगन सभी बोली दस्तावेजों मे दी गई उक्त बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से तथा संलग्न सभी बोली दस्तावेंजों में दी गई उक्त बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ / करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर

कार्य का नाम :–अनुबन्ध दर से 12 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध करवाने का कार्य।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में अनुबन्ध दर से माह 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 तक संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर निम्न नियम व शर्तो के अनुसार उपलब्ध करने होंगे।

नियम व शर्ते :–

१. सामग्री एवं ऑपरेटर की विशिष्टियॉः–

(i) Computer :- Intel Core i3/ Equivation AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT of bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writter, Standard KeyBoard, Optical Mouse, tandard Serial, parallel & USB ports Window 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility or Software licence will be borne by the Contractor.

(ii) Printer – Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. More specific needs, Dot Matrix/ Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(iii) Man Power – The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in' Windows/Linux environment, good knowledge / practice in word processor, Spread sheets and internet operations and other office related computer operations and should have minimum speed of 30 words per minute typing in hindi and English both.

(iv) UPS-Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minuts battery backup.

2. कम्प्यूटर के मॉडल वर्ष 2018 से पूर्व के नहीं होने चाहिये।
3. उक्त कार्यादेश अनुबन्ध के आधार पर है अतः इसे नियमित नियुक्ति न माना जावें। दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् इस आदेश की वैधता समाप्त हो जायेगी। निश्चित अवधि समाप्ति के बाद भी स्वीकृत दर पर समयावधि आपसी सहमति से RTPP Rules के तहत बढायी जा सकती है।
4. सामान्यतः कार्य राजकीय अवकाशों को छोड़ते हुये कार्यालय समय में ही करना होगा। कार्य की अधिकता होने पर कार्यालध्यक्ष के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय में एवं राजकीय अवकाशो में भी कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिये फर्म/व्यक्ति को विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।

5. समस्त कन्ज्युमेबल सामग्री जैसे पेपर, इंक, सीडी इत्यादि की आपूर्ति एवं बिजली फिटिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी। किन्तु कम्प्यूटर प्रिन्टर, की बोर्ड, लिंक केबल तथा अन्य सम्बन्धित उपकरण आदि ठेकेदार को देने होंगे।
6. कम्प्यूटर सिस्टम तथा अन्य संबंधित उपकरण व अन्य मशीनों/उपकरणों को सही तरीके से हमेशा कार्यरत (Working) स्थिति में रखने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, यदि मरम्मत की आवश्यकता होती है तो उचित दो कार्य दिवस समय में रिप्लेस करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी ताकि कार्यालय का कार्य बाधित न हो। इस हेतु किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
7. यदि उपकरणों की चोरी या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नही होगी। फर्म को सलाह दी जाती है कि वह स्वयं के खर्चे पर उपकरणो का बीमा करा लेवें।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर की गैर हाजिरी के कारण या कम्प्यूटर में खराबी के कारण कम्प्यूटर बन्द रहता है तो देय राशि मे से प्रतिदिन आनुपातिक रूप से (कुल पारिश्रामिक/महीने में कुल दिवस) की कटौती की जावेगी।
9. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर भुगतान समस्त वैधानिक कटौतियों के उपरांत संवेदक द्वारा (बिल प्रस्तुत करने के पश्चात्)फर्म के खाते में जमा कराया जायेगा। तथा वसूली यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जायेगा।
10. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित विभाग व संवेदक) द्वारा अजमेर न्यायालय में की जायेगी।
11. संवेदक को प्रत्येक कम्प्यूटर ऑपरेटर के निर्धारित योग्यता के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा अपेक्षा की जाती है संवेदक द्वारा जो कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाये जाते है उन्हें राजकीय कार्य सम्पादन का समुचित अनुभव हो।
12. संवेदक द्वारा लगाये गये उपकरणों की जांच विशिष्टियों के अनुसार विभाग द्वारा कराई जायेगी, उपकरण नवीनतम वर्जन के होना आवश्यक है।
13 विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार.(एक सप्ताह की पूर्व सूचना देकर) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर बढाये/घटाये जा सकते है।
14. सफल संवेदक को निर्धारित प्रारूप में 500/– नोन ज्युडीशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा तथा कार्यादेश की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में 10 दिवस के भीतर अनुसूचित बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक या सावधि जमा रसीद (FDR) अथवा बैंक गारंटी(कार्यादेश अवधि से 3 माह अधिक अवधि तक वैध) के रूप में जमा करानी होगी।
15. टेण्डर को निरस्त करने की पूर्ण शक्तियॉ महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को होगी। उनका निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
16 फर्म को राजकीय विभाग में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
17. फर्म का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
18. संवेदक को निविदा भरते समय, नियम, शर्ते, अनुबंध व कार्य के विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये। किसी भी प्रकार की शंका का निवारण, निविदा भरने से पूर्व प्रभारी अधिकारी भण्डार से कर लेना चाहिये।
19. निविदा सूचना में वर्णित निर्देशों के अनुरूप यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर, निर्धारित समय में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में प्रस्तुत की गई दरों को अंको एवं शब्दों में भी अवश्य लिखनी होगी। निविदाकार के द्वारा दी गई निविदा शर्तो के अलावा अन्य कोई भी शर्ते अमान्य होगी।
20. संवेदक अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता मय टेलिफोन नम्बर, ई–मेल पता, अंकित करेगा ताकि उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय पर वह स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता मय टेलिफोन नम्बर सूचित करेगा जो कि कार्यालय में उपस्थित रहेगा ताकि कार्य के प्रयोजन हेतु सम्पर्क किया जा सके।

21. संवेदक द्वारा निविदा में भरी हुई दरें सभी करों को सम्मिलित (GST को छोडकर) करते हुए मानी जायेगी। निविदा में भरी हुई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
22. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी भी एक को अधिकृत किये जाने की स्थिति में इसके लिये प्राधिकृति–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
23. संवेदक या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संवचना के कारण निविदा अमान्य मानी जायेगी।
24. अनुबन्ध कार्योदेश जारी होने से 31/03/2023 तक के लिये होगा आपसी सहमति से **RTPP** नियमानुसार अवधि बढाई जा सकेगी।
25. सक्षम अधिकारी को निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने/रद्द करने का अधिकार होगा।
27. यदि संवेदक द्वारा किसी भी नियम, शर्त, अनुबंध की पालना नहीं की जाती है तो कार्यालय प्रबंधन, अनुबंध को निरस्त करने अथवा जुर्माना (जो भी उचित हो) आरोपित करने के लिये स्वतंत्र होगा। जिसकी वसूली संवेदक के देय भुगतान अथवा जमानत राशि में से की जा सकेगी।
28. निर्धारित समयावधि पश्चात् निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक से भिजवाई जाने वाली निविदाऐं विलम्ब से प्राप्त होने पर उन्हें नहीं खोला जायेगा।
29. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।
30. संवेदक को कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा बीमा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। दुर्घटना एवं भूलवश लगी चोट एवं मृत्यु की स्थिति मे ठेकेदार के कार्मिक को देय हर्जे–खर्चे की जिम्मेदारी संवेदक स्वयं की होगी एवं विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
31. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
32. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
33. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की समस्त संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
34. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
35. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
36. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में

सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

37. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
38. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
39. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
40. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।
41. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
42. संवेदक द्वारा अनुबंध की शर्तो की पालना के अधीन कार्य का भुगतान मासिक आधार पर होगा। संवेदक को निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में बिल बनाकर कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। कार्य का भुगतान अग्रिम रूप में नही होगा। संवेदक को देय भुगतान में से आयकर अधिनियिम के तहत आयकर, स्रोत पर ही काटा जावेगा।
43. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
44. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित नयूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
45. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
46. अपीलः-बिड के संबंध में किसी भी निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग, जयपुर तथा द्वितीय वित्त सचिव(राजस्व), वित्त विभाग जयपुर को की जा सकेगी।
47. शेष शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम तथा RTPP ACT 2012 एवं RTPP नियम 2013 के अनुसार होगी। इस संबंध में राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों का पालन करना संवेदक की जिम्मेदारी होगी।

नोटः-यदि कोई बोलीदाता राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम श्रमिक अनुबंध नियम 1970/संशोधन अधिनियम 2014 **EPF, ESI, एवं GST** पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही आता है तद्नुसार आदेश की प्रति वचनपत्र (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा। सफल संवेदक को यह शपथ पत्र (Affidevit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बिड़ अवधि के दौरान यदि उसका द्वारा उपरोक्त में कोई पंजीकरण

कराया जाना आवश्यक हो तो तद्नुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत की प्रति प्रस्तुत कर दुंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(भगवत सिंह राठौड़)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रवर्तन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर

कार्य का नामः— कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन) उपलब्ध कराने हेतु ।

वित्तीय बिड

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर में 12 मैन विद मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य जॉब बेसिस पर कराने हतु निविदा।

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/बेलीदाता/कम्पनी का नाम एवं पूर्ण पता...
....
2. ई—मेल आई डीः .... मोबाईल न0 ....
3. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि...
4. निविदा खोले जाने की तिथि...
5. निविदा सूचना संख्या एफ—5/भण्डार/निविदा /दिनांक ....
6. निविदा शुल्क जमा कराने का विवरण..
7. अमानत राशि जमा कराने का विवरण..
8. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा मे दरें निम्नानुसार प्रपत्र मे केवल ऑनलाईन **BOQ** में प्रस्तुत की जायेगीः—

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	योग
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर/ प्रतिव्यक्ति	श्रमिकों की संख्या	राशि (प्रतिव्यक्ति)			(प्रतिव्यक्ति)		(योग कालम सं. 08 एवं 09)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	8476/—	12	8476/—	12%	4%	दरें केवल ऑनलाईन BOQ में अंकित की जाये	दरें केवल ऑनलाईन BOQ में अंकित की जाये	

उपरोक्त दरों पर वस्तु एवं सेवा कर की नियमानुसार दर प्रतिशत में........................

उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 08 एव 09 ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जानी है।

नोटः– श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम की दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं बोलीदाता द्वारा दरें केवल ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तावित की जावें।

कॉलम संख्या 08 एवं 09 मे अंकित दर/राशि को जोडते हुए जिस बोलीदाता द्वारा न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जायेगी।उसे सफल घोषित किया जाएगा।

मुझे इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता

वित्तीय प्रस्ताव हेतु BOQ नमुना प्रपत्र

(Note: To be filled in "online BOQ" on Eproc.rajasthan.gov.in)

जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें BOQ में प्रस्तुत की जायेगी।

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (प्रतिव्यक्ति)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर/ (प्रतिव्यक्ति)	श्रमिकों की संख्या	राशि (प्रतिव्यक्ति)			(प्रतिव्यक्ति)		(योग कालम संख्या 08 एवं 09)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	8476/-	12	8476/-	12%	4%			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 4 से 8 तक की पूर्तिया संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज मे कही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेगी (जिसका आवश्यक रूप से भुगतान किया जाना है, जिसका भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा) तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 से 09 मे ही बोलीदाता समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेगी।

कॉलम संख्या 08 एवं 09 में अंकित दर/राशि को जोडते हुए जिस बोलीदाता द्वारा न्यूनतम दरें प्रस्तुत क जायेगीं। उसे सफल घोषित किया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) का भुगतान प्रचलित दर अनुसार पृथक से किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता